न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 84/2019

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. भंवरसिंह पुत्र चतरसिंह, जाति राजपूत निवासी रामासनी वाला, तह0 सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 10.09.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी वाला तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 276 खसरा नम्बर 243, 250 कुल खसरा 02 कुल रकबा 10.0900 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 277 खसरा नम्बर 231, 251, 253, 254 कुल खसरा 04 कुल रकबा 24.5900 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 278 खसरा संख्या 246, 256 कुल खसरा 02, कुल रकबा 1.7700 हैक्टर, खाता संख्या 279 खसरा नम्बर 206 रकबा 0.9100 हैक्टर, खाता संख्या 280 खसरा नम्बर 229, 230, 233, 237, 238, 240 कुल खसरा 06, कुल रकबा 34.9800 हैक्टर, खाता संख्या 281 खसरा नम्बर 196, 197, 235 कुल खसरा 03, कुल रकबा 3.3500 हैक्टर, खाता संख्या 282 खसरा नम्बर 195, 198, 199, 215, 242 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.9800 हैक्टर, खाता संख्या 283 खसरा नम्बर 205, 228 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि का भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा जारी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2033 से 2052 में भवरसिह वल्द चतरसिह, विजयसिंह वल्द चतरसिंह व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्जसुदा चली आ रही है। भंवरसिंह वल्द चतरसिह एवं विजयसिंह वल्द चतरसिंह दोनो सगे भाई थे तथा चतरसिंह के पुत्र थे। सेटलमेंट के समय विजयसिंह का स्वर्गवास होने से जरिए पत्रावली संख्या 180/79 श्रीमान आर0ओ0 साहब जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.1979 के अनुसार विजयसिंह वल्द चतरसिह के स्थान पर फुलकंवर बेवा विजयसिंह, गायडसिह, हरिसिंह, भगवतसिंह पिसरान विजयसिंह दर्ज किया गया। जिस अनुसार आज दिन तक उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के गत खसरा नम्बरान की जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033 में भंवरसिंह वल्द चतरसिंह 1/5 हिस्से के नाम से दर्ज सुदा है। लेकिन सेटलमेंट के बाद बनी प्रथम जमाबंदी सम्वत् 2043–46 में भंवरसिंह वल्द चतरसिंह के स्थान पर भंवरसिंह वल्द विजयसिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया है, जो गलत दर्ज हुआ है, जबकि भंवरसिंह वल्द विजयसिह नहीं होकर भंवरसिंह वल्द चतरसिंह है। चूंकि विजयसिंह के स्वर्गवास के बाद सेटलमेंट के दौरान जरिए मिसल संख्या 180/79 के आधार पर उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046 में तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा नई चौशाला कायम करते समय भंवरसिह वल्द विजयसिंह दर्ज कर दिया गया, जो एक लिपिकीय त्रुटि है तथा भूलवश दर्ज हुआ है, जिसे रेकर्ड दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत है। सम्वत् 2043 से 2046 में उक्त त्रुटि चली आ रही है। उक्त त्रुटि होने की वजह से प्रार्थी को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ से भी वंचित होना पड़ा है। उक्त वादस्थ भूमि सरहद मौजा रामासनी बाला में होने से न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का है। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि भंवरसिंह वल्द विजयसिंह के स्थान पर पुनः भंवरसिह वल्द चतरसिह के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जवाब प्रा0 पत्र दिनांक 10.09.2020 को पेश वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम विजयसिंह के स्थान पर चतरसिंह किये जाने में कोई आपति नही होना अंकित किया है। इस समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी ने खाता संख्या 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 की प्रमाणित जमाबंदिया सम्वत् 2070–74, भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान, जमाबंदी सम्वत् 2030–33, जमाबंदी सम्वत् 2043–43 खाता संख्या 249, खतोनी बंदोबस्त की प्रमाणित छायाप्रतियां तथा भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रतिया पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्तागण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीग ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 276 खसरा नम्बर 243, 250 कुल खसरा 02 कुल रकबा 10.0900 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 277 खसरा नम्बर 231, 251, 253, 254 कुल खसरा 04 कुल रकबा 24.5900 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 278 खसरा संख्या 246, 256 कुल खसरा 02, कुल रकबा 1.7700 हैक्टर, खाता संख्या 279 खसरा नम्बर 206 रकबा 0.9100 हैक्टर, खाता संख्या 280 खसरा नम्बर 229, 230, 233, 237, 238, 240 कुल खसरा 06, कुल रकबा 34.9800 हैक्टर, खाता संख्या 281 खसरा नम्बर 196, 197, 235 कुल खसरा 03, कुल रकबा 3.3500 हैक्टर, खाता संख्या 282 खसरा नम्बर 195, 198, 199, 215, 242 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.9800 हैक्टर, खाता संख्या 283 खसरा नम्बर 205, 228 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर में दर्ज भंवरसिंह वल्द विजयसिह के स्थान पर पुनः भंवरसिह वल्द चतरसिह दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार(लैण्ड होल्डर)सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जवाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात भू0प्रबन्धन विभाग के खसरा मिलान में भंवरसिह वल्द चतरसिंह दर्ज सुदा है। जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 मे भी प्रार्थी चतरसिंह प्रार्थी की वल्दियत के रूप में दर्ज सुदा है। किन्तु खाता संख्या 176 में जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046 मे प्रार्थी की वल्दियत गलत रूप से चतरसिंह के स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

विजयसिंह दर्ज हो गई जो आगे से आगे पश्चात वर्ती जमाबन्दीयों में आज तक दर्ज सुदा है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम भंवरसिंह वल्द विजयसिंह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से भंवरसिह वल्द चतरसिह दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्तागण मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रामासनी वाला तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 276 खसरा नम्बर 243, 250 कुल खसरा 02 कुल रकबा 10.0900 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 277 खसरा नम्बर 231, 251, 253, 254 कुल खसरा 04 कुल रकबा 24.5900 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 278 खसरा संख्या 246, 256 कुल खसरा 02, कुल रकबा 1.7700 हैक्टर, खाता संख्या 279 खसरा नम्बर 206 रकबा 0.9100 हैक्टर, खाता संख्या 280 खसरा नम्बर 229, 230, 233, 237, 238, 240 कुल खसरा 06, कुल रकबा 34.9800 हैक्टर, खाता संख्या 281 खसरा नम्बर 196, 197, 235 कुल खसरा 03, कुल रकबा 3.3500 हैक्टर, खाता संख्या 282 खसरा नम्बर 195, 198, 199, 215, 242 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.9800 हैक्टर, खाता संख्या 283 खसरा नम्बर 205, 228 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम भंवरसिंह वल्द विजयसिंह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से भंवरसिह वल्द चतरसिह दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner